Rule 83 : Provisions relating to a goods and services tax practitioner

(1) An application in **FORM GST PCT-01** may be made electronically through the common portal either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner for enrolment as goods and services tax practitioner by any person who,

(i) is a citizen of India;

(i) is a person of sound mind;

(ii) is not adjudicated as insolvent;

(iv) has not been convicted by a competent court;

and satisfies any of the following conditions:-

(a) that he is a retired officer of the Commercial Tax Department of any State Government or of the [1][Central Board of Indirect Taxes] and Customs, Department of Revenue, Government of India, who, during his service under the Government, had worked in a post not lower than the rank of a Group-B gazetted officer for a period of not less than two years; or

(b) that he has been enrolled as a sales tax practitioner or tax return preparer under the existing law for a period of not less than five years;

(c) he has passed-

(i) a graduate or postgraduate degree or its equivalent examination having a degree in Commerce, Law, Banking including Higher Auditing, or Business Administration or Business Management from any Indian University established by any law for the time being in force; or

(ii) a degree examination of any Foreign University recognised by any Indian University as equivalent to the degree examination mentioned in sub-clause (i); or

(iii) any other examination notified by the Government, on recommendation of the Council, for this purpose; or

(iv) has passed any of the following examinations, namely:-

(a) final examination of the Institute of Chartered Accountants of India; or

(b) final examination of the Institute of Cost Accountants of India; or

(c) final examination of the Institute of Company

---

1 Substituted for "Central Board of Excise" by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

Secretaries of India.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the officer authorised in this behalf shall, after making such enquiry as he considers necessary, either enrol the applicant as a goods and services tax practitioner and issue a certificate to that effect in **FORM GST PCT-02** or reject his application where it is found that the applicant is not qualified to be enrolled as a goods and services tax practitioner.

(3) The enrolment made under sub-rule (2) shall be valid until it is cancelled:

Provided that no person enrolled as a goods and services tax practitioner shall be eligible to remain enrolled unless he passes such examination conducted at such periods and by such authority as may be notified by the Commissioner on the recommendations of the Council:

Provided further that no person to whom the provisions of clause (b) of [2]**[**sub-rule**]** (1) apply shall be eligible to remain enrolled unless he passes the said examination within a period of [3]**[**thirty months**]** from the appointed date.

(4) If any goods and services tax practitioner is found guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the authorised officer may, after giving him a notice to show cause in **FORM GST PCT-03** for such misconduct and after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in **FORM GST PCT-04** direct that he shall henceforth be disqualified under section 48 to function as a goods and services tax practitioner.

(5) Any person against whom an order under sub-rule (4) is made may, within thirty days from the date of issue of such order, appeal to the Commissioner against such order.

(6) Any registered person may, at his option, authorise a goods and services tax practitioner on the common portal in **FORM GST PCT-05** or, at any time, withdraw such authorisation in **FORM GST PCT-05** and the goods and services tax practitioner so authorised shall be allowed to undertake such tasks as indicated in the said authorisation during the period of authorisation.

(7) Where a statement required to be furnished by a registered person has been furnished by the goods and services tax practitioner authorised by

---

2 Substituted for "sub-section" by Noti. No. 17/2017–Central Tax, dt. 27-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

3 Substituted for "[A]**[**eighteen months**]**" by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

A Earlier substituted for "one year" by Noti. No. 26/2018–Central Tax, dt. 13-06-2018.

him, a confirmation shall be sought from the registered person over email or SMS and the statement furnished by the goods and services tax practitioner shall be made available to the registered person on the common portal:

Provided that where the registered person fails to respond to the request for confirmation till the last date of furnishing of such statement, it shall be deemed that he has confirmed the statement furnished by the goods and services tax practitioner.

[4]**[(8)** A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person, if so authorised by him to—

(a) furnish the details of outward [5]**[****]** supplies;

(b) furnish monthly, quarterly, annual or final return;

(c) make deposit for credit into the electronic cash ledger;

(d) file a claim for refund;

(e) file an application for amendment or cancellation of registration;

(f) furnish information for generation of e-way bill;

(g) furnish details of challan in **FORM GST ITC-04**;

(h) file an application for amendment or cancellation of enrolment under rule 58; and

---

4 Sub-rule (8) substituted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019. Earlier to substitution it read as under:

"**(8)** A goods and services tax practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person, if so authorised by him to-

(a) furnish the details of outward and inward supplies;
(b) furnish monthly, quarterly, annual or final return;
(c) make deposit for credit into the electronic cash ledger;
(d) file a claim for refund; and
(e) file an application for amendment or cancellation of registration:

Provided that where any application relating to a claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration has been submitted by the goods and services tax practitioner authorised by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal and such application shall not be proceeded with further until the registered person gives his consent to the same."

5 Omitted "and inward" by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022.

(i) file an intimation to pay tax under the composition scheme or withdraw from the said scheme:

Provided that where any application relating to a claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration or where an intimation to pay tax under composition scheme or to withdraw from such scheme has been submitted by the goods and services tax practitioner authorised by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal and such application shall not be further proceeded with until the registered person gives his consent to the same.**]**

(9) Any registered person opting to furnish his return through a goods and services tax practitioner shall—

(a) give his consent in **FORM GST PCT-05** to any goods and services tax practitioner to prepare and furnish his return; and

(b) before confirming submission of any statement prepared by the goods and services tax practitioner, ensure that the facts mentioned in the return are true and correct.

(10) The goods and services tax practitioner shall—

(a) prepare the statements with due diligence; and

(b) affix his digital signature on the statements prepared by him or electronically verify using his credentials.

(11) A goods and services tax practitioner enrolled in any other State or Union Territory shall be treated as enrolled in the State or Union territory for the purposes specified in sub-rule (8).

नियम 83 : जीएसटी व्यवसायी से सम्बन्धित उपबंध

(1) **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–01** में आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशन के लिए या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा जो–

(i) भारत का नागरिक है;

(ii) स्वस्थ्य चित्त का व्यक्ति है;

(iii) दिवाला के रूप में न्यायनिर्णीत नहीं है;

(iv) सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं ठहराया गया है।

[1]**[**और**]** जो किन्हीं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात् :

(क) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या [2]**[**केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर**]** और सीमा–शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से अनिम्नतर पंक्ति के पद पर कार्य कर चुका था ; या

(ख) उसे पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी या कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में अभ्यावेशित किया गया है;

(ग) उसने–

(i) स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भारतीय विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, बैंककारी, जिसके अन्तर्गत उच्चतर लेखा परीक्षा या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन भी है, में डिग्री रखता हो; या

(ii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री परीक्षा, जो उप–खण्ड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समतुल्य है, उत्तीर्ण की हो; या

(iii) इस प्रयोजन के लिए परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीण की हो; या

(iv) जिसने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अर्थात् :

(क) भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

(ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अन्तिम परीक्षा; या

(ग) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अन्तिम परीक्षा।

---

1 यहां और शब्द राजपत्र में अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिया गया है।

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''केन्द्रीय उत्पाद शुल्क'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, या तो आवेदक को जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित करेगा और **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–02** में उस आशय का प्रमाणपत्र जारी करेगा या जहां यह पाया जाता है कि आवेदक माल या सेवा कर व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित किए जाने के लिए अर्हित नहीं है वहां उसके आवेदन को नामंजूर करेगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन किया गया अभ्यावेशन उसके रद्द किए जाने तक विधिमान्य होगा :

परन्तु जीएसटी व्यवसायी के रूप में अभ्यावेशित कोई व्यक्ति अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी अवधियों में और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाएं, संचालित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिस पर [3]**[**उप–नियम**]** (1) के [4]खंड (ग) के उपबंध लागू होते हैं, अभ्यावेशित बने रहने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह नियत तारीख से [5]**[**तीस मास**]** की अवधि के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है।

(4) यदि कोई जीएसटी व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में अवचार का दोषी पाया जाता है तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अवचार के विरूद्ध उसे **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–03** में कारण बताने की सूचना देने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–04** में आदेश द्वारा उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् यह निर्देश दे सकेगा कि वह अब से आगे जीएसटी व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए धारा 48 के अधीन निरर्हित होगा।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उप–नियम (4) के अधीन आदेश किया जाता है, ऐसे आदेश के जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपने विकल्प पर, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05** में सामान्य पोर्टल पर किसी जीएसटी व्यवसायी को प्राधिकृत कर सकेगा या, किसी भी समय, **प्ररूप जीएसटी पीसीटी–05** में ऐसे प्राधिकार को वापस ले सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी ऐसे कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो प्राधिकार की अवधि के दौरान उक्त प्राधिकार में उपदर्शित हो।

(7) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण उसके द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वहां पुष्टि, ई–मेल या एसएमएस पर

---

3 अधिसूचना क्रमांक 17/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा ''उप–धारा' के स्थान पर प्रतिस्थापित हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

4 अंग्रेजी राजपत्र में ''Clause (b)'' छपा हुआ है।

5 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''[A]**[**अठारह मास**]**'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

A पहले अधिसूचना क्रमांक 26/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 13.06.2018 द्वारा 'अठारह मास', ''एक वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित किये गये थे।

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे विवरण के प्रस्तुत किए जाने की अन्तिम तारीख तक पुष्टि के लिए किए गए अनुरोध का उत्तर देने में असफल रहता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने जीएसटी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत विवरण की पुष्टि कर दी है।

[6][(8) कोई माल और सेवा कर व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी या किन्हीं क्रियाकलापों को कर सकता है, यदि उसने निम्नलिखित को करने के लिए इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो,–

(क) जावक [7]**[......]** प्रदायों के ब्यौरे देना;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम विवरणी देना;

(ग) इलैक्ट्रानिक जमा खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा करना;

(ड.) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना;

(च) ई–वे बिल जनित करने के लिए सूचना देना;

(छ) **प्ररूप जीएसटी आईटीसी–04** में चालान के ब्यौरे देना;

(ज) नियम 58 के अधीन नामांकन के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना; और

(झ) समझौता स्कीम के अधीन कर के संदाय या उक्त स्कीम से प्रत्याहरण की सूचना फाइल करना :

परन्तु जहां प्रदाय के दावे से संबंधित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन या जहां समझौता स्कीम के अधीन कर संदाय के लिए या ऐसी स्कीम

---

6 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा उप–नियम (8) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"**(8)** जीएसटी व्यवसायी किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ओर से किन्हीं या सभी निम्नलिखित क्रिया–कलापों को आरम्भ कर सकता है, यदि उसे निम्नलिखित को करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो–

(क) जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करना;

(ख) मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अन्तिम विवरणी प्रस्तुत करना;

(ग) इलेक्ट्रानिक नकद खाते में प्रत्यय के लिए निक्षेप करना;

(घ) प्रतिदाय के लिए दावा फाइल करना; और

(ड.) रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए आवेदन फाइल करना :

परन्तु जहां प्रतिदाय के लिए दावे से सम्बन्धित कोई आवेदन या रजिस्ट्रीकरण के संशोधन या रद्दकरण के लिए कोई आवेदन रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत जीएसटी व्यवसायी प्रस्तुत किया गया है वहां पुष्टि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से मांगी जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पर तब तक अगली कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।"

7 अधिसूचना क्रमांक 19/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा शब्द ''और आवक'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)।

के प्रत्याहरण के लिए कोई सूचना रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गई है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से पुष्टिकरण की ईप्सा की जाएगी और उक्त व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा और ऐसे आवेदन पर आगे की कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके लिए अपनी सहमति नहीं दे देता है।**]**

(9) जीएसटी व्यवसायी के माध्यम से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विकल्प देने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति–

(क) किसी जीएसटी व्यवसायी को उसकी विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए **प्ररूप जीएसटी पीटीसी–05** में अपनी सहमति देगा;

(ख) जीएसटी व्यवसायी द्वारा तैयार किए गए किसी विवरण के प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि विवरणी में उल्लिखित तथ्य सत्य और सही हैं।

(10) जीएसटी व्यवसायी–

(क) सम्यक तत्परता के साथ विवरण तैयार करेगा; और

(ख) उसके द्वारा तैयार किए गए विवरणों पर अपने डिजीटल हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायक का प्रयोग करते हुए सत्यापित करेगा।

(11) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित जीएसटी व्यवसायी को उप–नियम (8) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अभ्यावेशित के रूप में समझा जाएगा।